मो० सोहैल,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2013 को आयोजित "जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों" की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही टिप्पणी :-

उपस्थिति : यथापंजी

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23.09.2013 को जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा प्राथमिकता के आधार पर इस सप्ताह में निम्न कार्यों को निष्पादित करने के निदेश दिये गये :-

क्र	विभाग	दिये गये निदेश	अनुपालनकर्ता
1	डी.आर.डी.ए.	1. IAY : • इंदिरा आवास के अधीन अनुसूचित जाति/ जनजाति के अवशेष लाभूकों की पहचान कराना तदनुसार ग्रामीण विकास विभाग से अतिरिक्त लक्ष्य के लिए अनुरोध भेजना। • पुराना इंदिरा आवास की मरम्मती हेतु इंदिरा आवास मुख्यमंत्री सहायता योजना के अधिन तत्काल प्रस्ताव भेजा जाय। इस हेतु सभी प्रखण्डों से आकलन प्राप्त कर ग्रामीण विकास विभाग को अनुरोध भेजा जाय। • इंदिरा आवास योजना के आवास सॉफ्ट में प्रविष्टी अद्यतन नहीं है, इसमें तेजी लाते हुए प्रविष्टी अद्यतन कराना। • 01.04.2004 के पूर्व जिन लाभूकों को इंदिरा आवास दिया गया, उनके द्वारा लिंटल तक कार्य कराया गया है, वैसे लाभूकों का सर्वे कराकर सूची तैयार करना। प्रखण्डों से Excel sheet में प्रतिवेदन तैयार करना। मखदुमपुर छोड़कर अन्य प्रखण्डों से प्रतिवेदन अविलम्ब प्राप्त किया जाना। • 20-30 वर्ष पूर्व दिये गये इंदिरा आवास जो अब रद्दीकरण करने की स्थिति में है, उसका सर्वे कराकर सूची उपलब्ध कराना। • इंदिरा आवास से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों के जॉच कराने के उपरांत उससे संबंधित संचिका प्रस्तुत करना। जिन पदाधिकारयों के द्वारा जॉच नहीं की गई हैं, उन्हें तुरंत जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित करना। 2. SECC : ❖ सामाजिक आर्थिक जनगणना हेतु ड्राफ्ट पब्लिकेशन 30.09.2013 तक करना। ❖ दावा एवं आपत्ति 30 सितम्बर, 2013 से 23 अक्तूबर, 2013 तक प्राप्त किया जाना। ❖ दावा एवं आपत्ति के निष्पादन के लिए निर्धारित अवधि 30 सितम्बर, 2013 से 18 नवम्बर, 2013 है और सूची के अंतिम प्रकाशन की अवधि 19 नवम्बर, 2013 से 18 दिसम्बर, 2013 है। 3. SGSY ; • MIS entry weekly Status report blockwise • Data base of groups- gradewise • workshop at district level • Solar Charging Station - beneficiary selection./ SHG selection (विभाग को भेजे गये पत्र से संबंधित संचिका प्रस्तुत करना) • स्वयं सहायता समूह का प्रखण्डवार सूची तैयार कर प्रखण्ड प्रभारियों को उपलब्ध कराना ताकि प्रखण्ड प्रभारियों के द्वारा उसका स्वयं जॉच-पड़ताल किया जा सके। • जिविका के गतिविधियों का अनुश्रवण कर उसका साप्ताहिक प्रतिवेदन बैठक में उपलब्ध कराना। • स्वयं सहायता समूहों को जिस-जिस बैंक से सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है, उसके संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना तथा बैंक की बैठक में प्रस्तुत करना।	उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जहानाबाद/ निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, जहानाबाद